कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 की अध्यक्षता में समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर के साथ की गयी समीक्षा बैठक दि0 21.09.2017 का कार्यवृत्त

दि0 21.09.2017 को समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, उ0प्र0 की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सम्मिलित अधिकारियों की उपस्थिति कार्यालय के अभिलेखों में सुरक्षित है।

बैठक की कार्यवाही में अनुपालन हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

1. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) से पूर्व में भी यह अपेक्षा की गयी थी कि प्रत्येक माह एक या दो दिन अपने अधिक्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारियों के साथ बैठक करके उन महत्वपूर्ण विधिक स्थितियों से उन्हें अवगत करायेंगें जिससे उनके द्वारा पारित किये जाने वाले कर निर्धारण आदेशों में गुणात्मक सुधार हो सके, लेकिन समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि अधिकांश अधिकारियों के द्वारा ऐसी बैठक आयोजित नहीं की गयी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह बैठक करायी जाये। इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षित है कि माह में निस्तारित की जा रही अपीलों में महत्वपूर्ण व कर निर्धारण अधिकारियों के लिए उपयोगात्मक बिन्दुओं को संकलित करके प्रत्येक अपीलीय अधिकारी संक्षिप्त टिप्पणी मुख्यालय प्रेषित करें ताकि समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उन विशिष्ट बिन्दुओं से अवगत कराया जा सके।

(कार्य0 समस्त एडी0 कमि0 ग्रेड–1/ग्रेड–2 (अपील) वा0 कर, अनु0 एडी0डाय0(प्रशि0)/ज्वा0कमि0(नि0))

2. तीन सबसे बड़ी विवादित धनराशि की लम्बित अपीलों की न्यायिक सम्भागवार समीक्षा करने पर न्यायिक सम्भाग द्वितीय/तृतीय आगरा, मैनपुरी, मथुरा, प्रथम/द्वितीय फैजाबाद, चतुर्थ गाजियाबाद, तृतीय नोएडा, प्रथम झाँसी, पंचम लखनऊ, चतुर्थ/षष्टम कानपुर, बिजनौर एवं मुजफ्फरनगर में एक करोड़ से अधिक की अपीलें लम्बित पायी गयी। निर्देशित किया गया कि इन बड़ी अपीलों को प्राथमिकतापूर्वक निस्तारित किया जाये।

(कार्य0 समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, अनु0 ज्वा0डाय0(सं0))

3. तीन सबसे पुरानी लम्बित अपीलों की न्यायिक सम्भागवार समीक्षा करने पर न्यायिक सम्भाग तृतीय आगरा, द्वितीय गाजियाबाद, प्रथम/तृतीय/चतुर्थ लखनऊ, षष्टम कानपुर, द्वितीय मुरादाबाद, बिजनौर एवं मुजफ्फरनगर में वर्ष 2014 तथा इससे पूर्व की अपीलें लम्बित पायी गयी। निर्देशित किया गया कि इन सभी पुरानी अपीलों को माह नवम्बर–2017 तक निस्तारित किया जाये।

(कार्य0 समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, अनु0 ज्वा0डाय0(सं0))

4. निर्देशित किया गया कि वर्ष 2014 तक की अपीलें माह नवम्बर–17 तक, वर्ष 2015 की अपीलें माह दिसम्बर–17 तक एवं वर्ष 2016 की अपीलें मार्च–18 तक निस्तारित करा दी जाये ताकि व्यापारी की एक वर्ष से अधिक की अपीलें लम्बित न रहें।

(कार्य0 समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, अनु0 ज्वा0डाय0(सं0))

5. जिन न्यायिक सम्भागों में कुल अवशेष अपीलों की संख्या एक हजार से अधिक है और वर्ष 2015 की अपीलें निस्तारण के लिए अवशेष है वे न्यायिक सम्भाग वर्ष 2016 की अवशेष अपीलों की सूची वर्णानुक्रम में तैयार करके निकट के न्यायिक सम्भागों में हस्तान्तरण किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध करायें ताकि वर्ष 2016 तक की पुरानी अपीलों का मार्च–18 तक निस्तारण कराया जा सके।

(कार्य0 समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, अनु0 ज्वा0डाय0(सं0))

6. अपीलों के निस्तारण का मानक 10 यूनिट प्रतिकार्य दिवस का है। अधिकांश न्यायिक संभागों में द्वितीय त्रैमास के 2 माहों में मानक से बहुत कम अपीलों का निस्तारण हुआ है। निर्देशित किया गया कि मानक के अनुसार निस्तारण किया जाये।

(कार्य0 समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, अनु0 ज्वा0डाय0(सं0))

7. माह अगस्त,2017 के अन्त में रू0 10 लाख से अधिक विवादित कर की अवशेष अपीलों की संख्या 4614 है जिसमें रू0 9604.06 करोड़ की धनराशि निहित है तथा इनमें 2053 अपीलें तीन माह से अधिक पुरानी है। निर्देश दिये गये कि सभी सम्भाग बड़ी धनराशि की विवादित कर की अपीलों का

निस्तारण प्रथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें ताकि रू0 10 लाख से अधिक विवादित कर की अपीलें तीन माह से अधिक लम्बित न रहें।

(कार्य0 समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, अनु0 ज्वा0डाय0(सं0))

8. माह अगस्त,2017 के अन्त में रू0 10 लाख से अधिक धनराशि की स्थगित की गयी अपीलों की अवशेष संख्या–1745 है, जिनमें रू0 1972.38 करोड़ की धनराशि स्थगित है। इनमें निम्नवत 5 न्यायिक सम्भागों में रू0 100 करोड़ से ऊपर की धनराशि स्थगित है–

न्यायिक सम्भाग का नाम	अपीलों की संख्या	स्थगित धनराशि(करोड़ रू0 में)
न्यायिक सम्भाग तृतीय लखनऊ	103	608.56
न्यायिक सम्भाग चतुर्थ लखनऊ	131	238.20
न्यायिक सम्भाग प्रथम लखनऊ	231	145.27
न्यायिक सम्भाग प्रथम गाजियाबाद	136	118.48
न्यायिक सम्भाग तृतीय नोएडा	105	111.94

निर्देशित किया गया रू0 10 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्थगित अपीलों का निस्तारण प्रथम वरीयता पर करना सुनिश्चित करें ताकि कर राजस्व अनावश्यक रूप से अवरूद्ध न रहें।

(कार्य0 समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, अनु0 ज्वा0डाय0(सं0))

9. प्रदेश में लगभग 40 प्रतिशत निस्तारित अपीलें रिमाण्ड की रूप में हुयी है, जो बहुत अधिक है। अपेक्षित है कि रिमाण्ड की आवश्यकता होने पर ही समस्त आवश्यक अभिलेखों व स्पष्ट निर्देश के साथ पत्रावली रिमाण्ड की जाये ताकि पुनः कर निर्धारण स्तर पर अनावश्यक समय न लगे।

(कार्य0 समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्य कर, अनु0 ज्वा0डाय0(सं0))

बैठक के अन्त में अपेक्षा की गयी कि कार्यालय में पूरे कार्यदिवस में मानक से अधिक अपीलों का निस्तारण किया जाये जिसमें अधिक धनराशि एवं एक वर्ष से अधिक लम्बित अपीलों को प्राथमिकता प्रदान किया जाये ताकि अपीलार्थी को समय से न्याय मिल सके तथा अपीलीय अधिकारी राजस्व संग्रह में भी अपना अहम योगदान कर सकें।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक पंत्र सं0: एस0एस0–आठ–प्रथम अपील बैठक कार्यवृत्त–2017–18/592/वाणिज्य कर

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊः दिनांक 05/10/ 2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर, एवं मनोरंजन कर उ0प्र0 शासन को सादर अवलोकनार्थ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. एडीशनल कमिश्नर (विधि)/एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
5. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
6. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुपालनार्थ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वाद), (विधि), (निरीक्षण), (आई0टी0),(आडिट), वाणिज्य कर मुख्यालय।

5.10.17

(मनोज कुमार तिवारी)
ज्वाइन्ट डायरेक्टर (संख्या) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।